

अनुसूची
प्रपत्र - "एच"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(नियम 8 देखिए) दिनांक

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के अधीन खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति दी जाय।

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार आवेदन शुल्क ट्रेजरी चालान सं०..... दिनांक को जमा करा दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

(i) आवेदन का नाम

पिता का नाम

अस्थायी पता

जी०एस०टी० नं०

(ii) भण्डारण हेतु आवेदित क्षेत्र का विवरण

खसरा नं०

क्षेत्रफल

ग्राम/शहर

तहसील

जनपद

(iii) क्या आवेदक निजी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है ?

(iv) यदि आवेदक :-

(क) एक व्यक्ति है जो उसकी राष्ट्रीयता :

(ख) यदि कम्पनी है तो कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।

(ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता

(घ) आवेदक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति

(ङ) खनिज या खनिजों के नाम, जिन्हें आवेदक भण्डारित करना चाहता है

(च) अवधि, जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है

(v) (क) क्या आवेदक उस भूमि पर सतही अधिकार रखता है, जिसे भण्डारण के लिए वह उपयोग में लाना चाहता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या भण्डारण के लिए भूमि के स्वामी या अधिभोगी से सहमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ, तो स्वामी या अधिभोगी से प्राप्त लिखित सहमति दाखिल की जाय

(vi) भूमि की संक्षिप्त विवरण, विशेष संदर्भ सहित

(vii) भण्डारित किये जाने वाले खनिज/खनिजों की मात्रा

(viii) खनिज/खनिजों के भण्डारण का उद्देश्य

(ix) भण्डारण के लिये उपयोग होने वाली भूमि का मानचित्र

(x) भण्डारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जिसके अन्तर्गत आप द्वारा यथा अपेक्षित यथार्थ नक्शे भी हैं, देने को तैयार हूँ/हैं।

स्थान

दिनांक

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर और नाम)

प्रपत्र - "एम"
अपील हेतु आवेदन का आदर्श प्रपत्र
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)
(नियम 15 देखिए)

सेवा में,

महोदय,

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवली, 2021 के उपबंधों के अधीन द्वारा पारित आदेश सं० दिनांक के विरुद्ध एक अपील दायर की जा रही है। अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

1. अपील दायर करने वाले व्यक्ति /
व्यक्तियों/फर्म या कम्पनी का नाम
और पता.....
2. व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्म
या कम्पनी का व्यवसाय.....
3. उस प्राधिकारी जिसके विरुद्ध
अपील दायर की जा रही है, के
आदेश संख्या और दिनांक
(प्रतिलिपि संलग्न की जाये).....
4. अपीलार्थी/खनिजों, जिसके लिये अपील
दायर की जा रही है
5. खनिज/खनिजों, जिनके लिये अपील
दायर की जा रही है
6. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं
भण्डारण का निवारण) नियमवली, 2021 के
नियम 15 में यथा विहित रीति के अपील
के लिये जमा किये गये ₹ 10,000 की विहित
फीस का विवरण-खजाना चालान सं०
(प्रति संलग्न की जाये)
दिनांक
7. क्या प्रतिवादित आदेश के संसूचित किये
जने के दिनांक के 30 (तीस) दिन के
भीतर अपील दायर की गयी है ?
8. यदि नहीं तो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन,
परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवली, 2021
के नियम 15 के अधीन दिये गये उपबन्ध के अनुसार विहित
समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने का कारण
9. बनाये गये पक्ष/पक्षकारो, यदि कोई हो, के
नाम व पूरे पते

10. इसके साथ संलग्न अपील की प्रतियों की संख्या
11. अपील का आधार
(विवरण पृथक-पृथक प्रस्तुत किये जा सकते हैं)
(i) संक्षिप्त तथ्य
(ii) आधार
(iii) प्रार्थना
12. यदि अपील मुख्तारनामा धारक द्वारा दायर की गयी है, तो ऐसे मुख्तारनामे को संलग्नक किया जाय।

संलग्नक :-

- 1.
- 2.
- 3.

स्थान

दिनांक

भवदीय,

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
और पूरा पता



प्रपत्र एच-1

**राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना हेतु मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)**

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के निर्माण स्थल/परियोजना के टनल, Open excavation व रिवर ट्रेनिंग स्थलों से निकलने वाले मक/उपखनिज के भण्डारण एवं प्रयोग की अनुमति परियोजना की अवधि तक दी जाये।

2. उक्त नियमावली के नियम 8 के अधीन प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्धारित शुल्क ₹ 50,000/- कोषागार चालान संख्या.....दिनांक.....के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है।
3. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है:-.....
4. आवेदक का नाम व पूरा पता.....
5. परियोजना निर्माण स्थल/टनल क्षेत्र का नाम.....
6. परियोजना निर्माण स्थल/टनल का क्रमांक
7. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की कटाई की चौड़ाई/माप.....
8. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की लम्बाई/माप.....
9. यदि परियोजना निर्माण स्थल/टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण.....
10. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप
11. डम्पिंग साईट का विवरण.....
12. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घनमीटर में)
.....व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घनमीटर में).....
14. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा में उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में)व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा में उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में).....
15. कोई अन्य विवरण या रेखा-मानचित्र (स्कैच मैप) जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहें.....
मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर।